

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-15/07/2026

सं0सं0-14/पद0-704/2025-12728/सा0प्र0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पद0-704/2025-12429, दिनांक-12.07.2026 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-1 में अंकित सारणी के क्रमांक-44 पर अंकित पदाधिकारी श्री ललित राही, बि0प्र0से0 को0क्र0-701/26, गृह जिला-मधेपुरा के स्थानांतरण/पदस्थापन को निरस्त किया जाता है।

2. श्री ललित राही, बि0प्र0से0 को0क्र0-701/26, गृह जिला-मधेपुरा, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

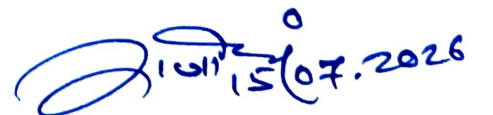
3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पद0-704/2025-12429, दिनांक-12.07.2026 की कंडिका-1 में अंकित सारणी के क्रमांक-44 पर अंकित पदाधिकारी के स्थानांतरण/पदस्थापन से आच्छादित पदाधिकारी श्रीमती सुनन्दा कुमारी, को0क्र0-744/26, गृह जिला-नालंदा, जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद अपने पद पर पूर्ववत् बनी रहेंगी।

4. श्री दिक्षित स्वेतम, बि0प्र0से0 को0क्र0-755/26, गृह जिला-भागलपुर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5. श्री मुकेश कुमार मुकुल, बि0प्र0से0 को0क्र0-152/26, गृह जिला-मुंगेर, उप सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया (अपने वेतनमान में) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

6. श्री रवि रंजन, बि0प्र0से0 को0क्र0-581/26, गृह जिला-औरंगाबाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7. श्री शैलेश कुमार, बि0प्र0से0 को0क्र0-127/26, गृह जिला-पटना, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल को बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

 15.07.2026

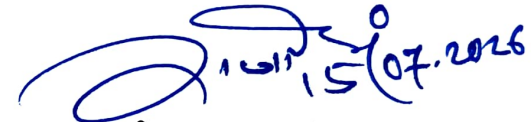
8. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पद0-704/2025-12429, दिनांक-12.07.2026 की कंडिका-1 में अंकित सारणी के क्रमांक-36 पर अंकित पदाधिकारी, मो0 मुश्तकीम, बि0प्र0से0 को0क्र0-392/26, गृह जिला-बेगूसराय का महाप्रबंधक (प्रशासन), मुख्यालय, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पद पर किया गया स्थानांतरण/पदस्थापन दिनांक-15.08.2026 के पश्चात प्रभावी होगा।

9. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित होने वाले पदाधिकारियों को संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

10. उपर्युक्त पदस्थापन/स्थानांतरण से आच्छादित पदाधिकारी जिनका अन्यत्र स्थानांतरण नहीं हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।

11. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी पारगमण काल का उपभोग किये बिना अपने नव पदस्थापन वाले पद पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

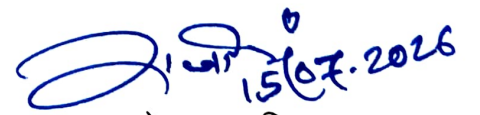
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पद0-704/2025-12728/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 15/07/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।